MOST-URGENT
OUT – TODAY

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

दिनांक :– 16 जुलाई, 2020

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/23713

:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता ::

भीलवाड़ा जिला मुख्यालय एवं जिले के उपखण्ड क्षेत्र करेड़ा में निवासरत व्यक्ति को नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) से संक्रमित पाये जाने से उसके आसपास के क्षेत्र में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना होकर नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता हैं।

उक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया हैं एवं मैं संतुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाये गये क्षेत्रों एवं उसके आस–पास के क्षेत्र में निवासरत नागरिको के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं केन्द्रीय लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से **दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा** जारी की जावे।

अतः **मैं शिवप्रसाद एम. नकाते, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से **जिला मुख्यालय एवं जिले के उपखण्ड़ क्षेत्र करेड़ा** की निम्न सीमा क्षेत्रों को **Containment क्षेत्र** घोषित कर निषेधाज्ञा लागू करता हूँ :–

क्र.सं.	नाम उपखण्ड़	जीरो मोबिलिटी ऐरिया
1	करेड़ा	**उपखण्ड़ क्षेत्र करेड़ा** के **ग्राम बेलिया खेडा में** कमला देवी पत्नी लक्ष्मण कुमावत के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुये **उत्तर दिशा में** जगदीश पिता नाथु कुमावत के मकान से **दक्षिण दिशा** में लालु कुमावत के पास आम रास्तें तक **पूर्व दिशा** में चारभुजाजी मन्दिर तक से **पश्चिम दिशा** में लालु पिता नन्दा के मकान तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।
2		**उपखण्ड़ क्षेत्र करेड़ा** के **ग्राम लादुवास में** शंकरपुरा उर्फ खरोलिया खेडा में सांवर पिता गणेश खारोल के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुये **उत्तर दिशा में** आम रास्ता **दक्षिण दिशा** उगमा पिता बालु, भग्गा पिता भेरा नाई के मकान तक **पूर्व दिशा** में हिरा पिता उंकार खारोल के मकान तक **पश्चिम दिशा** में शंकर लाल पिता पोखर खारोल के नोहरे तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।
3		**उपखण्ड़ क्षेत्र करेड़ा** के **ग्राम करेडा में** निवासरत कोराना संक्रमित व्यक्ति श्री पवन पिता शांतिलाल कोठारी एवं कुसुम पत्नी श्री पवन कोठारी के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुये **उत्तर दिशा में** महावीर पिता मूलचन्द मेडतवाल के मकान से **दक्षिण दिशा** खुशी वाटिका के गेट तक **पूर्व दिशा** में महावीर मेडतवाल के कृषि भूमि खेत से **पश्चिम दिशा** में खुशी वाटिका का मुख्य द्वार से 40 फिट पूर्व दिशा तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।

Scanned with CamScanner

4	जिला मुख्यालय	भीलवाड़ा शहर के बापू नगर कॉलोनी क्षेत्र में निवासरत कोरोना संक्रमित व्यक्ति गीता पत्नी श्री अनिल छावडा एवं विद्या पत्नी श्री कमलेश छावडा के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुये **उत्तर दिशा में** भीलवाडा से उदयपुर रोड तक **दक्षिण दिशा में** सब्जी मण्डी बापूनगर रोड़ तक **पूर्व दिशा में** शाखा पार्क तक **पश्चिम दिशा में** बापू नगर पार्क नहर के पास तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।
5		भीलवाड़ा शहर के आजाद नगर क्षेत्र में निवासरत कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री कीसवेन्द्र पत्नी रघुराज भाटी के मकान को केन्द्र बिन्दू मानते हुये **उत्तर दिशा में** चारभुजा मन्दिर तक **दक्षिण दिशा में** कुम्भा सर्किल रोड़ तक **पूर्व दिशा में** कुम्भा सर्किल तक **पश्चिम दिशा में** राजाराम जनरल स्टोर के सामने वाल गली तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।
6		भीलवाड़ा शहर के आर.के.कॉलोनी में निवासरत कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री हर्ष पिता विरेन्द्र सिंह के मकान नंबर C-276 को केन्द्र बिन्दु मानते हुये **उत्तर दिशा में** जीण माता मन्दिर तक **दक्षिण दिशा में** गायत्री आश्रम रोड तक **पूर्व दिशा में** पीपलेश्वर महादेव मन्दिर तक **पश्चिम दिशा में** अरिहन्त भवन तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।
7		भीलवाड़ा शहर के नागौरी गार्डन क्षेत्र में निवासरत कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री चेतनदास पिता बसू दास के मकान को केन्द्र बिन्दू मानते हुये **उत्तर दिशा में** भोपाल क्लब तक **दक्षिण दिशा में** नागौरी गार्डन वाली रोड़ तक **पूर्व दिशा में** गवर्नमेन्ट गर्ल्स स्कूल तक **पश्चिम दिशा में** सूचना केन्द्र वाली रोड तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में।

मैं, जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघंन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं **"The Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020, National Disaster Manegment Act, 2005** एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना सम्भव नहीं हैं। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण की जानकारी हेतु **जिला मुख्यालय एवं संबंधित उपखण्ड क्षेत्र की वर्णित सीमा क्षैत्र** में मुख्य–मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रो के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 16 जुलाई 2020 को सांय 6.00 बजे से अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

Scanned with CamScanner